अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2022 (GCMS 2022/108)(आईटीआई पोर्टल नं. 212238509976724) हरीराम जोशी वार्ड नं 02, नजदीक गुड शेफर्ड स्कूल, बसंत विहार, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94139-91234) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरीराम जोशी स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसे तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा निर्धारित समयावधि में उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने यह प्रथम अपील पेश की है।

उनका आगे यह भी कथन था कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपने पत्रांक आरटीआई/22/961 दिनांक 03.03.2022 से नकल शुल्क 20/- जमा करवाने कर सूचना प्राप्त करने के आदेशित किया गया परन्तु जब वे दस्तावेजात प्राप्त करने के तहसील कार्यालय, सूरतगढ में उपस्थित हुए तो कार्यालय के कर्मीगण किसी मिटिंग का हवाला देते हुए सूचना देने में टालमटोल करते रहे और उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए उसे उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, अपीलार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2022 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:

> फाईल क्रमांक जि.रा.ले./खा[illegible]री/[illegible]13/1316 दिनांक 09.06.2011 बाग[illegible] की पत्रावली से निम्न दस्तावेज [illegible] प्रति
>
> 1. तहसीलदार, सूरतगढ के पत्र [illegible]हार के साथ पत्र [illegible] संलग्न नजरी नक्शा, मूल रिर्पोट की प्रति।
>
> 2. मूल आवंटन के आदेश की प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुताबिक कानुनगो कार्यालय रिपोर्ट अनुसार सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र श्री हरिराम जोशी गुड शेफर्ड स्कूल के पास वार्ड नं 44, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर में कार्यालय पत्रांक आरटीआई/22/961 दिनांक 03.03.2022 द्वारा जारी किया गया जिसको प्राप्त होने पर आवेदक श्री हरिराम जोशी दिनांक 07.03.2022 को कार्यलय में उपस्थित आये। आवेदक श्री हरिराम जोशी द्वारा चाहा गया से सम्बन्धित खातेदारी पत्रावली का अवलोकन करवाया गया जिसमें आवेदक द्वारा चाहे गये नजरी नक्शा की चित्रप्रति में है एवं पत्रावली में पत्र व्यवहार सम्बन्धी दस्तावेजों की नकल लेने से मना किया एवं आवंटन आदेश से सम्बन्धित प्रति की चित्रप्रति होने के कारण नियमानुसार नकल दी जानी सम्भव नहीं है।

उक्त जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत पुनः आरम्भ हुई जिसमें अति. जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय सूरतगढ ने दिनांक 27.05.2022 को सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

परिवादी द्वारा दर्ज परिवाद में तहसीलदार, सूरतगढ से प्राप्त पत्र क्रमांक 509 दिनांक 27.05.2022 अनुसार परिवादी द्वारा आरटीआई के तहत चाही गई सूचना, कार्यालय में उपलब्ध खातेदारी पत्रावली बागअली पुत्र माना खाँ में उपलब्ध आव[illegible] पत्र[illegible]र बेवा सरदारा के आवंटन की चित्रप्रति की प्रमाणित नकल, [illegible]चार सम्बन्धित पत्रों की प्रमाणित नकल व फर्द मौका दिनांक 2[illegible]0.2013 की चित्र प्रति की प्रमाणित नकल परिवादी को प्रेषित की हैं।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, सूरतगढ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/22/538 दिनांक 10.05.2022 से अपील पत्र पर टिप्पणी मय कार्यालय से सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, **परन्तु उनके द्वारा आदिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया** परन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार, सूरतगढ के पत्रांक आरटीआई/22 दिनांक 03.03.2022 की प्रति पेश की है, जिसमें तहसीलदार, सूरतगढ ने अपीलार्थी को निम्नानुसार लिखा गया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपका आवेदन ऑनलाईन पत्र 25.01.2022 को प्राप्त हुआ जिसमें आपके द्वारा चाही सूचना निम्न प्रकार से है :

क्र. स.	आवेदन पत्र का बिन्दु	विभागीय सूचना
1	बाग अली पुत्र माना खां सूरतगढ के पत्रावली में पत्र व्यवहार व नजरी नक्शा की रिपोर्ट की प्रति	आप कार्यालय समय में आकर या 16 रूपये नकल शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।
2	मूल टी.सी. आवंटन आदेश की प्रति।	आप कार्यालय समय में आकर या 04 रूपये नकल शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।

तहसीलदार
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:02 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र [illegible] राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की प्रति भी प्रेषित की है जिसमे त[illegible] ने दिनांक 25.04.2022 को सम्पर्क पोर्टल पर निम्नानुसार जवाब प्रेषित [illegible] है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसप्रकार तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र में दिये गये जवाब दिनांक 03.03.2022 एवं सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 25.04.2022 एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय, सूरतगढ द्वारा **सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 27.05.2022 को दिये गये जवाब में भिन्नता है** तथा अपीलार्थी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जवाब एवं सम्पर्क पोर्टल पर उक्तानुसार दिये गये किसी भी जवाब से संतुष्ट नही है तथा तहसीलदार, सूरतगढ ने हस्तगत अपील का जवाब भी प्रेषित नहीं किया गया है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तहसीलदार, सूरतगढ को रिमाण्ड की जाती है और तहसीलदार, सूरतगढ को आदेशित किया जाता है वे अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर पुनः 10 दिवस में निर्णय पारित करें।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीदार (राजस्व), सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:02 IST
Reason: SelfAttested